

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- २५१-४४०८-११६(४),

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन जिला	गृह जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	डा० अमरेश कुमार	वैशाली	Patna	सारण
2	डा० राजेन्द्र प्रसाद सिंह	वैशाली	Nalanda	जहानाबाद
3	डा० ललन कुमार	वैशाली	Bhagalpur	मुंगेर
4	डा० जगदीश शर्मा	वैशाली	Shikhpura	नवादा
5	डा० आदर्श कुमार	वैशाली	Gaya	समस्तीपुर
6	डा० अंजनी कुमार	वैशाली	Seikhpura	नालन्दा
7	डा० विमल कुमार चौधरी	वैशाली	Madhubani	दरभंगा
8	डा० उपेन्द्र प्रसाद	वैशाली	Patna	मुजफ्फरपुर
9	डा० दिलीप कुमार	वैशाली	Patna	सारण
10	डा० (मेजर) अविनाश कुमार	वैशाली	Katihar	पूर्णियाँ
11	डा० सयैद नैयर कासिम नसर	वैशाली	Bhagalpur	पूर्णियाँ
12	डा० राजेन्द्र कुमार राजेश	वैशाली	Patna	भोजपुर

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर

अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. चूँकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

7. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी- ५५ | २०७४- ११६ (५)

पटना, दिनांक ३०. ६. २००८

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — सचिव, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — मंत्री,, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशास्या पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्पूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव